



प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI - 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 23.09.2025

सार्वजनिक सूचना संख्या 41/2025

विषय: माल का पहली बार आयात - प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ.

हवाई माल परिसर, मुंबई-III के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और व्यापार के सदस्यों का ध्यान पहली बार आयात के मामलों में KYC दस्तावेज़ जमा करने और सत्यापन की प्रक्रिया की ओर आकर्षित किया जाता है. इस उपाय का उद्देश्य आयातकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करना, राजस्व के हितों की रक्षा करना और गैर-वास्तविक या नकली संस्थाओं द्वारा तस्करी को रोकना है.

2. पहली बार आयातक:

देश में कहीं भी आयात गतिविधि में नए लगे व्यक्तियों को पहली बार आयातक माना जाता है.

3. निर्धारित दस्तावेजों की सूची:

पंजीकरण के समय पहली बार आयातकों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए:

- (i) IEC (प्रमाणपत्र) की प्रति.
- (ii) GST पंजीकरण प्रमाणपत्र.
- (iii) उपयोगिता बिल (बिजली/टेलीफोन) लेकिन 3 महीने से अधिक पुराने नहीं (यदि पता GST प्रमाणपत्र से अलग है), संपत्ति कर रसीद, यदि व्यावसायिक परिसर किराए पर है तो लीज/किराया समझौता.
- (iv) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड.
- (v) आधार कार्ड.
- (vi) पते का प्रमाण यानी वोटर आईडी/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस.

- (vii) चालू बैंक खाते/विवरण, पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न, रद्द किया गया चेक और बैंक से एक प्रमाण पत्र जो पुष्टि करता है कि IEC धारक का बैंक खाता चालू है और वास्तव में आयातक द्वारा धारित है (खाते का नाम IEC से मेल खाता हो)।
- (viii) व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामले में, निगमन का दस्तावेज़ निम्नलिखित होगा, अर्थात्: -
- साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख या समझौता;
 - सीमित देयता भागीदारी के मामले में, रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाणन और LLP समझौता;
 - कंपनी के मामले में, रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र और मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन;
 - ट्रस्ट/फाउंडेशन के मामले में, पंजीकरण का प्रमाण पत्र और मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
 - किसी अन्य मामले में, गठन को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज़।
- (ix) यदि लागू हो, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़, साथ में हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो (तारीख के साथ) और हस्ताक्षर का नमूना, अधिकृत व्यक्ति/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर और ई-मेल पता।

4. प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

उल्लिखित दस्तावेज़ आयातक, उनके अधिकृत कस्टम्स ब्रोकर (CB), या एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संबंधित मूल्यांकन समूह अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हैं। CBs को कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशंस (CBLR), 2018 के रेगुलेशन 10 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा, जब वे क्लाइंट की पहचान और जानकारी का सत्यापन कर रहे हों, जैसा कि CBLR, 2018 के रेगुलेशन 10 के तहत अनिवार्य है।

5. कस्टम्स ब्रोकर्स द्वारा अनुपालन:

कस्टम्स ब्रोकर्स से उम्मीद की जाती है कि वे कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशंस (CBLR), 2018 के रेगुलेशन 10 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेंगे, विशेष रूप से, खंड (n) और (o) जो बताते हैं:

- (n) विश्वसनीय, स्वतंत्र, और प्रामाणिक दस्तावेजों, डेटा, या जानकारी का उपयोग करके घोषित पते पर क्लाइंट के पूर्ववृत्त, IEC की शुद्धता, पहचान, और कामकाज का सत्यापन करें.
- (o) डाक पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल, आदि में किसी भी बदलाव की सूचना, ऐसे बदलाव के एक महीने के भीतर सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकार वाले उपायुक्त/सहायक आयुक्त को दें.

6. पहली बार के आयातकों के लिए प्रक्रिया:

पहली बार का आयातक उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेजों को संबंधित मूल्यांकन समूह में जमा करेगा और एक पावती प्राप्त करेगा. समूह मूल्यांकन अधिकारी ऐसे आयातकों के लिए अलग ई-ऑफिस फाइलें बनाए रखेगा, और फाइल नंबर को बिल ऑफ एंट्री के विभागीय टिप्पणी कॉलम में उल्लेख किया जाना चाहिए. इसके बाद सभी दस्तावेज समूह के उपायुक्त/सहायक आयुक्त को भेजे जाएंगे.

7. आयातक की जिम्मेदारियाँ:

पहली बार आयात करने वाले को यह करना होगा:

- i. ICEGATE के माध्यम से बिल ऑफ एंट्री (BE) दाखिल करें और वाणिज्यिक चालान, पैकिंग सूची, एयरवे बिल, मूल प्रमाण पत्र (यदि तरजीही शुल्क का दावा कर रहे हैं), आयात लाइसेंस या NOC (जहाँ भी लागू हो), परीक्षण रिपोर्ट/तकनीकी साहित्य (यदि वर्गीकरण जटिल है) और लागू होने वाले किसी भी अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
- ii. माल का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करें.
- iii. मुक्त/प्रतिबंधित/निषिद्ध के लिए लागू आयात नीति की जाँच करें.
- iv. सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 के अनुसार मूल्यांकन का निर्धारण.
- v. उपायुक्त मूल्यांकन मोड चुनें (स्व-मूल्यांकन, पहली जाँच, आदि)
- vi. शुल्क (BCD, IGST, SWS, आदि) की सही घोषणा करें और भुगतान करें.
- vii. किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब दें.]
- viii. लेखा परीक्षा उद्देश्यों के लिए पाँच वर्षों तक प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखें.
- ix. निकासी से पहले ICEGATE में शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाना चाहिए.
- x. अधिसूचनाओं के तहत शुल्क छूट के लिए पात्रता की जाँच करें.
- xi. उनके या उनके कर्मचारियों के खिलाफ जाँच की स्थिति में लेखा परीक्षा, जाँच या सत्यापन में सहयोग करें.

8. सुविधा उपाय:

एक व्यक्ति जिसकी पहचान पहले से ही किसी अन्य बंदरगाह पर पहले आयात के समय स्थापित हो चुकी है और ऐसा व्यक्ति एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुंबई-III से आयात शुरू करना चाहता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

i. जहाँ व्यक्ति किसी अन्य बंदरगाह के माध्यम से आयात कर रहा है और पहली बार आयात में संलग्न होने वाला कोई नया व्यक्ति नहीं है, वहाँ किसी और अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी. सीमा शुल्क ब्रोकर या स्व-निकासी चाहने वाले पहली बार के आयातक को तुरंत सीमा शुल्क के उपायुक्त/सहायक आयुक्त (आयात शेड) को सूचित करना होगा, यदि आवश्यक हो तो निकासी में सहायता माँगे.

ii. आयात की गतिविधि में नए सिरे से संलग्न होने वाले व्यक्ति के संबंध में, इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में उल्लिखित दस्तावेज़ आयात के समय जमा किए जाएंगे.

9. अधिक्रमण खंड:

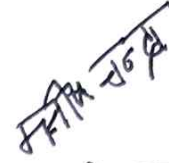
यह सार्वजनिक सूचना एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुंबई ज़ोन-III के तहत पहली बार के आयात से संबंधित सभी पिछली सार्वजनिक सूचनाओं को अधिक्रमित करती है.

10. सहायता और स्पष्टीकरण:

इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को अतिरिक्त/संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), ACC, सहार, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन-III के ध्यान में लाया जा सकता है. संबंधित उपायुक्त/सहायक आयुक्त 48 घंटे/2 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे मामलों का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे. सहायता, स्पष्टीकरण और जानकारी के लिए, आयातक और सीमा शुल्क ब्रोकर हमारे हेल्प डेस्क TSK (तुरंत सुविधा केंद्र) पर tsk.accmumbaizone3@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं या 022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी आधिकारिक वेबसाइट <https://mumbaicustomszone3.gov.in> और अन्य विभागीय वेबसाइटों <https://www.icegate.gov.in>, <https://www.cbic.gov.in> पर जा सकते हैं.

पहली बार आयात करने वालों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे फेसलेस असेसमेंट के प्रावधानों से खुद को परिचित कर लें.

यह सार्वजनिक सूचना सीमा शुल्क (पहचान और अनुपालन का सत्यापन) विनियम, 2021 के संदर्भ में जारी की गई है, जिसे अधिसूचना संख्या 41/2021-Cus (NT) दिनांक 05 अप्रैल, 2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।



(मनीष चन्द्रा)

प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात),
हवाई माल परिसर, मुंबई

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन -III, मुंबई.
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), ACC, मुंबई
3. सभी अतिरिक्त/संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), ACC, मुंबई
4. सभी अतिरिक्त/संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), ACC, मुंबई
5. सभी उपायुक्त/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (आयात और निर्यात), ACC, मुंबई
6. व्यापार संघ
7. CB संघ (BCBA)
8. MIAL/एयर इंडिया
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन के लिए)
10. कार्यालय प्रतिलिपि